

कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.-(07632-248414)
Email - dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/

375

/बालाघाट, दिनांक

9/01/2019

प्रति,

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड,
3rd फ्लोर, ब्लॉक नं. 1, डी.बी.सीटी,
एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

विषय:-

Request for granting permission for laying Optical Fiber Cable on Gonglai- Deogaon route total Length's 2.00 Km. (0.1 Ha.) Forest (Conservation) Act 1980, online Proposal No. FP/MP/OFC/36742/2018

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/निरंक, दिनांक 28.12.2018 (जो वनमंडल कार्यालय में प्राप्ति आवक क्रमांक 13460 दिनांक 28.12.2018)

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रकरण प्रस्ताव में म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र आदेश क्रमांक -एफ-5-14/2005/10-3 दिनांक 30 जुलाई 2012 में दिये गये निर्देशानुसार पंजीयन शुल्क की राशि रू0 5,000/- (रू0 पांच हजार) एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रू0 25,000/- (रू0 पच्चीस हजार) का पृथक-पृथक बैंक ड्रॉफ्ट "वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल बालाघाट (म0प्र0) के नाम पर बनाकर तत्काल शीघ्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। ताकि उपरोक्त राशि का बैंक ड्रॉफ्ट प्राप्त होने पर वन मुख्यालय भोपाल कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/1187 दिनांक 31.03.2013 में दिये गये निर्देशानुसार बैंक ड्रॉफ्ट की राशि "राज्य के राजस्व मद" में जमा कराई जाकर वनवृत्त कार्यालय बालाघाट को अवगत कराया जा सके, तथा उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव में नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्तानुसार पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क वापसी योग्य नहीं (non-refundable) होगा।

पृष्ठा0 क्रमांक/मा0चि0/
प्रतिलिपि :-

376

/बालाघाट, दिनांक

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमण्डल, बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट

9/01/2019

- (1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबन्ध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) मुख्य वनसंरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक, बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (3) उपवनमंडलाधिकारी बालाघाट (सा0) उपवनमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषयांकित वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैरवानिकी कार्य नहीं हो, सुनिश्चित करें तथा वनक्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखकर सुरक्षा करें। तथा इस संबंध में अपने समस्त संबंधित अधिनस्थ वनपरिक्षेत्र अधिकारी/परिक्षेत्र सहायक एवं बीट गार्ड को निर्देशित करें।
- (4) वनपरिक्षेत्र अधिकारी हट्टा (सा0) परिक्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त विषयांकित वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई गैरवानिकी कार्य नहीं होने दिया जावे, सुनिश्चित करें। तथा वनक्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखकर वन सुरक्षा करें। तथा इस संबंध में अपने अधिनस्थ संबंधित परिक्षेत्र सहायक एवं बीट गार्ड को निर्देशित करें।
- (5) शाखा प्रभारी राजस्व शाखा एवं व्यय शाखा, वनमंडल कार्यालय की ओर उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया उपरोक्तानुसार वांछित राशि का बैंक ड्रॉफ्ट प्राप्त होते ही उसे कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-10/बजट/255/1187 दिनांक 31.3.2013 में दिये गये निर्देशानुसार प्राप्त राशि "राज्य के राजस्व मद" में तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। तथा प्रकरण में राशियाँ राज्य के राजस्व मद में जमा कराये जाने की सूचना वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जावे।

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमण्डल, बालाघाट
दक्षिण सा. वनमंडल, बालाघाट